

न्यायालय :-अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-136 / 23

सतना, दिनांक-20.11.2023

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 संशोधन आदेश क्रमांक-4

पूर्व प्रसारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 में संशोधन करते हुये, एतद् द्वारा मैं, **अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना (म.प्र.)** दं.प्र.सं.-1973 (अधिनियम क्रमांक-2) सन् 1974 की धारा-14(2) एवं 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना-जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य जो आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 प्रभावशील था, में निम्नानुसार संशोधन करती हूँ :-

1. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 की कण्डिका-14 में श्रीमती संगीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना जिला-सतना को विलोपित कर उनके स्थान पर श्रीमती रेनू यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना जिला-सतना को प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 के परिशिष्ट-"अ" की कण्डिका-6 से आरक्षी केन्द्र कोटर, अजाक एवं सिविल लाइन को विलोपित कर कण्डिका-1 में आरक्षीकेन्द्र कोलगवां के बाद कोटर व अजाक एवं कण्डिका-3 में आरक्षीकेन्द्र सभापुर के बाद सिविल लाइन को जोड़ा जाता है।
3. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2023 के परिशिष्ट-"स" में कण्डिका-33 व 34 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क्र०	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार
33	सुश्री शिखा रघुवंशी	सुश्री सुभांगी तिवारी	सुश्री वंदना मालवीय	सुश्री श्वेता सिंह
34	सुश्री सुभांगी तिवारी	सुश्री शिखा रघुवंशी	श्रीमती शक्ति वर्मा	श्रीमती कामिनी प्रजापति

अनीता खजूरिया

Principal District & Session Judge
Satna (M.P.)

पृष्ठांकन क्रमांक-

/ 23

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।
- 2- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/अमरपाटन/चित्रकूट/उचेहरा/मैहर/नागौद/रामपुर बाघेलान/मझगवां।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सतना।
- 4- सिस्टम ऑफिसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

सतना, दिनांक-20.11.2023

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)